प्राक्कथन

मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 2014-15 की अवधि हेतु भारतीय रेल में कर्मीदल प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उन घटनाओं का उल्लेख है जो समीक्षा के दौरान देखी गई; अप्रैल 2014 से पूर्व की अवधि से संबंधित मामलों को भी शामिल किया गया है, जहाँ भी आवश्यक था।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई है।